



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082020-221103
CG-DL-E-13082020-221103

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2402]
No. 2402]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2020/श्रावण 20, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2020/SRAVANA 20, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2020

का.आ. 2708(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एलपीजी परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हासन (कर्नाटक) से चेरलापल्ली (तेलंगाना) पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी चिक्कनायकनहल्ली तालूका तुमकुरु जिला कर्नाटक राज्य में बिछाने के प्रयोजन के लिए यह यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी और विशेष भूमि आधिग्रहण अधिकारी, हासन – चेरलापल्ली पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार

का उपक्रम, नं. -520, मुक्या रास्ता नं-2, नया के हेच बि लेआउट, नया बस स्टेंड के सामने हासन-573201, कर्नाटक को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालुक : चिक्कनायकनहल्ली				
जिला : तुमकुरु				
राज्य : कर्नाटक				
क्रमांक	गाँव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल	
			एकड़	गुंटा
1	2	3	4	5
1	1.मल्लिगेरे	360	00	21
2		198	00	33
3		426	00	02
4		364	00	29
5		371/1	00	13
6		371/2	00	11
7		197	01	39
8		373	00	05
9		391	00	14
10		389	00	16
11		390/2	00	09
12		390/1	00	09
13		385/1	00	20
14		385/2	00	13
15		401	00	28
16		154/3	01	17
17		366	00	12
18		367	00	13
19		153	00	34
20		384/1	00	05
21		384/2	00	04
22		415/1	00	07
23		415/2	00	03
24		416	00	12

25		417	00	11
26		150	00	14
27		379	00	06
28		380	00	11
29		381	00	09
30		382/6	00	04
31		382/5	00	11
32		382/4	00	01
33		148/2	00	08
34		148/1	01	16
35		315	00	10
36	2.बेलगिहल्ली	75	00	31
37		186	00	13
38		185	00	04
39		74	01	05
40		77	01	02
41		164	00	22
42		165	00	24
43		72	00	25
44		71	01	25
45		163/2	00	10
46		163/3	00	15
47		111/2	00	19
48		111/1	00	06
49		67	00	14
50	3.उप्पारहल्ली	20/5	00	17
51		24/1	00	07
52		23	00	29
53		25/1	00	06
54		22/1	00	06
55		22/3	00	21
56		22/2	00	07

57		26/1	00	05
58		26/2	00	31
59		27/1	00	11
60		27/2	00	12
61		28/4	00	04

[फा. सं. आर-12030/27/2/2019-ओआर-I/E-30930]

पी. सोमाकुमार, अवसर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th August, 2020

S.O. 2708(E).— Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of LPG, Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid at Chikkanayakanahalli Taluk, Tumakuru District in Karnataka State, which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to The Competent Authority & SLAO, Hassan-Cherlapalli LPG Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Government of India Enterprises, No 520, 2nd Main Road, New K H B Layout, Opposite New Bus stand, Hassan - 573 201, Karnataka.

Schedule

Taluk : Chikkanayakanahalli		District : Tumakuru	State : Karnataka	
Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Area	
			Acres	Guntas
1	2	3	4	5
1	1.Malligere	360	00	21
2		198	00	33
3		426	00	02
4		364	00	29
5		371/1	00	13
6		371/2	00	11
7		197	01	39

8		373	00	05
9		391	00	14
10		389	00	16
11		390/2	00	09
12		390/1	00	09
13		385/1	00	20
14		385/2	00	13
15		401	00	28
16		154/3	01	17
17		366	00	12
18		367	00	13
19		153	00	34
20		384/1	00	05
21		384/2	00	04
22		415/1	00	07
23		415/2	00	03
24		416	00	12
25		417	00	11
26		150	00	14
27		379	00	06
28		380	00	11
29		381	00	09
30		382/6	00	04
31		382/5	00	11
32		382/4	00	01
33		148/2	00	08
34		148/1	01	16
35		315	00	10
36	2.Belageehalli	75	00	31
37		186	00	13
38		185	00	04
39		74	01	05
40		77	01	02
41		164	00	22
42		165	00	24

43		72	00	25
44		71	01	25
45		163/2	00	10
46		163/3	00	15
47		111/2	00	19
48		111/1	00	06
49		67	00	14
50	3.Upparahalli	20/5	00	17
51		24/1	00	07
52		23	00	29
53		25/1	00	06
54		22/1	00	06
55		22/3	00	21
56		22/2	00	07
57		26/1	00	05
58		26/2	00	31
59		27/1	00	11
60		27/2	00	12
61		28/4	00	04

[F. No. R-12030/27/2/2019-OR-I/E-30930]
P. SOMAKUMAR, Under Secy.